"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 390] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 सितम्बर 2017— भाद्रपद 10, शक 1939

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2017

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ 16-01/2016/नौ/55-4. — छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर क्रमांक एफ 16-01/2016/नौ/55-4 "छत्तीसगढ़ दंत चिकित्सा एवं भौतिक (फिजियोथेरेपी) स्नातक प्रवेश नियम 2017" की नियम 2. परिभाषाएं (ज) में नि:शक्तजन को परिभाषित किया गया है. नि:शक्तजन जो "नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 (1996 का सं. 1)" का उल्लेख है. यह अधिनियम वर्तमान में विलोपित हो चुका है. इसके स्थान पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का 49) प्रभावशील है. अत: प्रकाशित अधिसूचना का नियम 2 (ज) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है.

"नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 (1996 का सं. 1)" 2 (ज) के स्थान पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का 49) की धारा 2 का (r), (s) एवं (t) प्रतिस्थापित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.